

अतिरिक्त संलग्नक

संलग्न प्रपत्र संख्या

संलग्नक प्रपत्र का नाम

संलग्नक पृष्ठ संख्या

✓2.1	प्रस्ताव के बारे में विवरण एवं प्रस्ताव की औचित्य एवं आवश्यकता	15
✓2.2	परियोजना हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त वित्तीय स्वीकृति एवं प्रशासनिक स्वीकृति ।	6,7
✓2.3	संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट ।	8
✓2.4	वैकल्पिक सटे खण्डों को मानचित्र पर प्रदर्शित कर उनके निरस्त किये जाने का प्रमाण पत्र ।	9
✓2.5	जिलाधिकारी / D.F.O. द्वारा प्रदत्त वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने का प्रमाण पत्र ।	10
✓2.6	लैण्ड शैड्यूल	11
✓2.7	परियोजना की लम्बाई, चौड़ाई तथा कुल क्षेत्रफल का प्रमाण पत्र	
2.8	परियोजना का भूमि उपभोग का बार चार्ट	
✓2.9	क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना सिविल भूमि पर ।	12
2.10	क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल की उपयुक्तता का प्रमाण पत्र ।	
✓2.11	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण को वहन किये जाने का प्रमाण पत्र ।	13
2.12	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रदत्त रिक्त पड़े स्थानों पर उचित वृक्षारोपण का प्राकलन ।	
✓2.13	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर उचित वृक्षारोपण की धनराशि वहन किये जाने का प्रमाण पत्र ।	14
2.14	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रदत्त 100 वृक्षों के वृक्षारोपण सम्बन्धी प्रमाण पत्र	
✓2.15	परियोजना से प्रभावित होने वाले वृक्षों की सूचि एवं उनके वैज्ञानिक नाम का प्रमाण पत्र ।	15
2.16	बांज प्रजाति के वृक्षों के पातन हेतु तन संरक्षण की संस्तुति का प्रमाण पत्र	
✓2.17	वृक्षों के पातन न होने का प्रमाण पत्र ।	16
2.18	न्यूनतम वृक्षों के पातन किये जाने का प्रमाण पत्र ।	
2.19	परियोजना के निर्माण से उत्पादित माल का निस्तारण की योजना ।	
✓2.20	राष्ट्रीय पार्क / वन्यजीव अभ्यारण्य सम्बन्धी प्रमाण पत्र ।	17
✓2.21	राष्ट्रीय पार्क / वन्यजीव अभ्यारण्य से दूरी का प्रमाण पत्र ।	18
2.22	राष्ट्रीय पार्क / वन्यजीव अभ्यारण्य के अन्तर्गत क्षेत्र हेतु NBWL एवं माननीय उच्च न्यायालय की अनुमति का प्रमाण पत्र ।	
✓2.23	वन संरक्षण अधिनियम के उल्लंघन न होने का प्रमाण पत्र ।	19
✓2.24	ग्राम सभा का अनापत्ति प्रमाण पत्र ।	
2.25	प्रस्तावित परियोजना का ले-आउट प्लान एवं प्राकलन ।	20

2.26	अवयव के अनुसार निर्माणाधीन कार्य का प्रमाण पत्र।	
✓2.27	कार्य आरम्भ न किये जाने का प्रमाण पत्र।	21
✓2.28	भू-वैज्ञानिक की आख्या।	22, 23
✓2.29	टास्क फोर्स रिपोर्ट।	24, 25
✓2.30	मानक शर्तों का लागू होने का प्रमाण पत्र।	26, 27, 28
✓2.31	टास्क फोर्स एवं भू-वैज्ञानिक की शर्तों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण पत्र।	
✓2.32	धार्मिक/पौराणिक/एतिहासिक महत्व का स्थल न होने का प्रमाण पत्र।	29
✓2.33	वन्य जीव/वनस्पतियों को क्षति न पहुंचाये जाने का प्रमाण पत्र।	30
✓2.34	मिट्टी तेल एवं रसोई गैस का प्रमाण पत्र।	31
✓2.35	लाभान्वित होने वाले, ग्रामों/परिवारों/जनसंख्या के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र।	32
✓2.36	एन0पी0वी0की देयता का प्रमाण पत्र।	33, 34, 35
✓2.37	एन0पी0वी0की बढ़ी हुई धनराशि की देयता का प्रमाण पत्र।	40
2.38	वन भूमि की लीज रेट का प्रमाण पत्र।	
2.39	लीज अवधि का प्रमाण पत्र।	
✓2.40	आर0सी0पी0 पिलरों के प्राकलन का प्रमाण पत्र।	41
✓2.41	आर0सी0पी0 पिलरों के व्यय को वहन करने हेतु प्राकलन का प्रमाण पत्र।	42
✓2.42	क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु गैर भूमि उपलब्ध न होने का प्रमाण पत्र।	43
2.43	चैक लिस्ट/फैक्ट शीट।	

वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा -2 के अन्तर्गत भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त करने हेतु

प्रस्ताव- नियम- 41

प्रस्ताव

2-1

1. प्रोजेक्ट का विवरण -

(क) प्रस्ताव का संक्षिप्त विवरण तथा प्रोजेक्ट हेतु वन भूमि की आवश्यकता-

बरसात में पहाड़ी नदी से जो बजरी, बोल्टर, रेत / मोरम आदि उपखनिज बहकर आता है, वह नदी की तलहटी में जमा हो जाता है, जिसकी निकासी न होने के कारण नदी की तलहटी धीरे-धीरे ऊपर आ जाती है और नदी की धारा का रुख परिवर्तित हो जाता है तथा आस-पास स्थित आबादी को खतरा उत्पन्न होने की आशंका होती है। अतः नदी के किनारे के भू-रक्षण एवं जल प्रवाह को नियंत्रित रखने की दिशा में नदी के तलहटी में जमा उपखनिजों की निकासी किया जाना प्राविधिक दृष्टि से नितान्त आवश्यक है।

स्वारना नदी, झाझरा में बरसात में प्रत्येक वर्ष भारी मात्रा में उपखनिज एकत्रित होता है। यदि इस क्षेत्र से उपखनिज की निकासी नहीं की जाती है तो क्षेत्र के तलहटी में निरन्तर उपखनिज जमा हो जाने के कारण नदी की धारा का रुख बदलने और नदी के किनारे में स्थित आबादी के क्षेत्रों को बाढ़ से प्रभावित होने की आशंका रहेगी। सम्भवतः इसी कारण वर्षों से निरन्तर इस क्षेत्र से उपखनिज की निकासी समय-समय पर प्रभावी नियम एवं शासनादेशों के अन्तर्गत किया जाता रहा है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 लागू होने के पश्चात् इस क्षेत्र से उपखनिज चुगान के लिए भारत सरकार का अनुमोदन 10 वर्ष के लिए प्राप्त किया जाना है, जिसकी अवधि 01-10-2013 से 30-06-2023 तक होगी।

क्षेत्र में उपलब्ध उपखनिज की श्रेणी निर्माण कार्य में बहुत ही उपयुक्त हैं। उपखनिज का चुगान परिवहन तथा इस आधारित उद्योगों (केशर आदि) में प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से हजारों लोग कार्यरत हैं और इस क्षेत्र में स्वामित्व वन विभाग का अभिवहन शुल्क, व्यापार कर, आयकर आदि के मद में प्रत्यक्ष में शासन को लगभग रु 2.37 करोड़ राजस्व प्राप्त होना है। क्षेत्र के विकास के लिए यह उद्योग एक महत्वपूर्ण आधार है।

चूँकि उपखनिज की निकासी केवल चुगान द्वारा ही की जायेगी।

अतः वन सम्पदा व अन्य सार्वजनिक या किसी निजी सम्पत्ति को क्षति होने की सम्भावना प्रतीत नहीं होती है। इसके अतिरिक्त वन सम्पदा सार्वजनिक निर्माण एवं पर्यावरण के हितों को दृष्टिगत रखते हुए चुगान की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें।

उपखनिज प्राकृतिक कारणों से नदी की तलहटी में एकत्रित होता है जो कि वन विभाग में है। अतः इस कार्य के लिए भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त कर चुगान कार्य करने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है।

- वनों का घनत्व — शून्य है
- प्रजाजिवार व्यासवार वृक्षों का विवरण — रिक्त है

- भू- क्षरण से खतरा — यह परियोजना वन भूमि में भू-क्षरण को नियंत्रित करने के लिये बनाया जा रहा है।
- क्या यह क्षेत्र नेशनल पार्क, वन्य जन्तु विहार आदि का भाग तो नहीं है — नहीं।
- प्रस्तावित वन भूमि का मदवार विवरण —
 - 1. कृषि उपज — रिक्त
 - 2. सड़कें — —
 - 3. मैदान — रिक्त
 - 4. बैरन (रौखड) — 23.75 है०
- क्या इसमें वनस्पति अथवा जीव जन्तु की ऐसी प्रजातियाँ पाई जाती है जिनके विनाश का संकट हो। — नहीं
- क्या यह क्षेत्र वन्य जन्तुओं के प्रजनन या इमेग्रेशन या उनके पुनरोत्पादन का स्थान तो नहीं है। — नहीं

(ख) खनन पट्टा सम्बन्धी प्रस्ताव का विवरण—

- कुल खनन पट्टा क्षेत्र में वन भूमि के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल— देहरादून वन प्रभाग, देहरादून 23.75 है० (लेकिन वास्तविक चुगान कार्य नदी के मध्य, भाग में केवल 11.88 है० में ही होगा)
- खनन पट्टा कितने वर्ष के लिए प्रस्तावित है— उत्तरांचल उपखनिज परिहार नियमावली 2001 के प्राविधनों के अन्तर्गत समय—2 निर्गत शासनादेशों के द्वारा पट्टे की अवधि एवं प्रकार निर्धारित किये जाते हैं। उपखनिज के चुगान हेतु 10वर्षों हेतु प्रस्तावित किया जा रहा है।
- खनिजवार खनिज का भण्डार— क्षेत्र में बजरी, बोल्टर, एवं दड़ा/ मौसम प्रतिवर्ष बरसात में एकत्र होता है और चुगान हेतु पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। प्राप्त सूचना के अनुसार 15 प्रतिशत बालू 50 प्रतिशत बजरी, 35 प्रतिशत बोल्टर पाई जाती है, प्रस्तावित क्षेत्र में 50 प्रतिशत क्षेत्र में चुगान प्रस्तावित है, जिसमें केवल 1.0 मी गहराई तक 1.20 लाख घ०मी० उपखनिज पाये जाने की सम्भावना है।

(ग) वन क्षेत्र का विवरण—

क्र०स०	ज्पद का नाम	प्रभाग का नाम	क्षेत्र का विवरण	क्षेत्रफल (है०)
1.	देहरादून	देहरादून वन प्रभाग,	झाझरा	23.75

(ग) प्रोजेक्ट का कुल मूल्य— शून्य

(घ) वन क्षेत्र में प्रोजेक्ट लगाने का औचित्य —उपखनिज प्राकृतिक कारणों से वन क्षेत्र में बहने वाली स्वारना नदी, झाझरा में एकत्र है अतः चुगान के लिए वन क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है

(च) वित्तीय एवं सामाजिक लाभ—

- नदी के किनारे में स्थित आबादी की सुरक्षा ।
- नदी के किनारे के कटान का नियन्त्रण ।
- जल प्लावन आदि की समस्या का निराकरण ।
- आस-पास के स्थानीय व्यक्तियों को रोजगार एवं जीविका के साधन ।
- स्वामित्व, अभिवहन शुल्क, बिक्रिकर, आयकर आदि के मद में शासन की राजस्व में वृद्धि ।

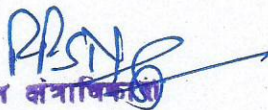
(छ) प्रोजेक्ट से लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या— प्रोजेक्ट से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से 1 हजार व्यक्तियों के लाभान्वित होने की सम्भावना है ।

(ज) प्रोजेक्ट से सम्बन्धित रोजगार की सुविधा—

- क्षेत्र में उपखनिज से चुगान में लगभग 1 हजार श्रमिकों को रोजगार मिलने की सम्भावना है । इसके अतिरिक्त उपखनिज का परिवहन स्टोन क्रेशर एवं इससे सम्बन्धित अन्य कार्यों के लिए जायेगा ।
- प्रोजेक्ट की स्थिति:— पोंटा देहरादून रोड तथा देहरादून के महत्वपूर्ण
- प्रोजेक्ट की विभिन्न प्रयोजनों में उपयोग आने वाली वन भूमि का क्षेत्र — स्वारना नदी, झाझरा 23.75 है० क्षेत्र के लिए अनुमोदन प्रस्तावित है, जिसमें से वास्तविक चुगान केवल 50 प्रतिशत क्षेत्र में होने की सम्भावना है । भूमि में नदी के बहाव की स्थिति को दुष्टगत रखते हुए वन सम्पदा एवं अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए चुगान कार्य प्रतिबन्धित रहेगा ।
- प्रश्नगत वन भूमि का विवरण—
- वन भूमि की वैधानिक स्थिति — आरक्षित वन क्षेत्र
- वन क्षेत्र की वनस्पति की स्थिति — भूमि वृक्ष विहीन है ।
- (ट) प्रस्तावित उत्पादन — नदी तल से 1.5 मी० गहराई तक उपखनिज का चुगान आसानी से किया जा सकता है । प्रस्तावित क्षेत्र में से 50 प्रतिशत क्षेत्र में उपखनिज का चुगान प्रस्तावित है और 1.00 मी गहराई तक करने से लगभग 1.20 लाख घ० मी० उपखनिज उपलब्ध हो सकता है । अतः भविष्य में क्षेत्र से लगभग 1.20 लाख घ० मी० उपखनिज प्रतिवर्ष चुगान सम्भावित है ।

- (ठ) खनन कार्य की पद्धति— नदी में कोई नियमित खनन कार्य नहीं होगा। केवल नदी की तलहटी से उपखनिज का चुगान मैनुवल लेबर द्वारा किया जायेगा तथा चुगान कार्य अक्टूबर से जून तक ही होगा।
- (ड) भूमि पुनः वनीकरण करने हेतु समयबद्ध योजना— चुगान हेतु प्रस्तावित क्षेत्र में कोई वन नहीं है। चुगान प्रकार वृक्ष आदि को क्षति की सम्भावना प्रतीत नहीं होती है। क्षेत्र में होने वाली आय से नदी के किनारे के क्षेत्रों में वन विभाग द्वारा आवश्यकतानुसार वनीकरण किया जा सकता है। 47.50 है० क्षेत्र में क्षतिपूरक वनीकरण किया जायेगा।
- (ढ) क्षेत्र का ढाल — क्षेत्र का ढाल प्रायः समतल है।
- (त) खनन में प्रयुक्त होने वाले श्रमिकों की संख्या— क्षेत्र में कोई नियमित खनन प्रस्तावित नहीं है उपखनिज के चुगान / अन्य कार्यों के लिए लगभग 1 हजार मजदूर नियुक्त होने की सम्भावना है।
- (थ) वन विभाग की आवश्यकता —
 (ए) खनन देहरादून वन प्रभाग के अन्तर्गत आने वाले 23.75 है० क्षेत्र जिसकी मानचित्र सलग्न किया जा रहा है। भारत सरकार से अनुमोदन हेतु प्रस्तावित चुगान क्षेत्र केवल 50 प्रतिशत ही होगा।
 बिन्दु बी० से एच तक के कार्यों हेतु कोई भूमि की आवश्यकता नहीं है।
- (द) प्रस्तावित कार्य वन क्षेत्र के बाहर न किये जाने के कारण— नदी की तलहटी में ही प्राकृतिक प्रक्रियासे उपखनिज एकत्रित होता है, जो कि वन क्षेत्र के अन्तर्गत पड़ता है। अतः वन क्षेत्र से चुगान करने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है।
- (ध) खनन कार्य से वृक्ष आदि को होने वाली अनुमानित क्षति— चूँकि नदी से केवल उपखनिज का चुगान किया जाना प्रस्तावित है। अतः वृक्ष आदि को कोई क्षति होने की सम्भावना प्रतीत नहीं होती है।
- (न) खनन क्षेत्र से स्थाई जल स्रोत राज्य/ राष्ट्रीय उद्यान एवं सैन्चुरी आदि की दूरी — चुगान हेतु प्रस्तावित क्षेत्र नदी की तलहटी में है। प्रस्तावित क्षेत्र के ऊपरी व नीचे भाग में मोटर मार्ग स्थित है। प्रस्तावित क्षेत्र के आस- पास कोई राष्ट्रीय उद्यान एवं सैन्चुरी नहीं है।
- (य) टाप सौयल सुरक्षित रखने हेतु उपाय— चुगान कार्य में कोई टाप सौयल नहीं निकलेगा, बल्कि आस-पास के वन क्षेत्रों में टाप सौयल के संरक्षण के लिये ही यह योजना प्रस्तावित है।
- (र) यदि भूमिगत खनन किया जाता है तो पानी, वन एवं अन्य वनस्पति पर होने वाले प्रतिकूल प्रभाव एवं भूमि धसने की आशंका— लागू नहीं है।
- (ल) लागत एवं लाभ विश्लेषण— प्रश्नगत परियोजना में शासन की कोई लागत सम्भावित नहीं है इसके विपरीत स्वामित्व वन, विभाग का अभिवहन शुल्क, आयकर, एवं विक्रिकर के माध्यम से शासन को लगभग 2.37 करोड़ रुपया का राजस्व प्रति वर्ष प्राप्त होने की सम्भावना है।

- (व) पर्यावरण विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक है अथवा नहीं यदि हाँ तो उसे प्राप्त किया गया है अथवा नहीं— नहीं
- (स) वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत प्रतिकूल कोई कार्यवाही की गयी अथवा नहीं यदि हाँ तो— नहीं
- (ह) अन्य कोई सूचना— नदी की तलहटी में लगातार उपखनिज एकत्रित होने के कारण नदी के बहाव में परिवर्तन, नदी किनारों का भू-क्षरण एवं नदी के किनारे स्थित आबादी को नुकसान की सम्भावना बनी रहती है और नदी की तलहटी में एकत्रित उपखनिज की निकासी से नदी के जल बहाव के लिए अतिरिक्त स्थान मिलता है, जिससे नदी के दोनों तटों पर स्थित वन भूमि को कटान से बनाया जा सकेगा। क्षेत्र में उपलब्ध उपखनिज की आपूर्ति प्रदेश के अतिरिक्त बाहर के प्रदेशों में विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्यों में किया जा सकता है, जिसमें राज्य सरकार को करोड़ों रूपयों का राजस्व प्राप्त होगा, हजारों व्यक्तियों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा और आस-पास के वन क्षेत्रों को संरक्षण भी होगा। चुगान के कारण किसी भी प्रकार की वन सम्पदा या सार्वजनिक स्थानों को क्षति होने की सूचना नहीं है। लेकिन चुगान नहीं करने पर आस-पास के वन क्षेत्रों में भू-कटाव से अत्यधिक हानि होने की सम्भावना है। अतः जनहित/ राजकीय हित में उपखनिज का चुगान किया जाना नितान्त आवश्यकता है।


वन संचालक
शाश्वत राय
देहरादून वन प्रभाग


(आ.ट.एम.के.ए.)
प्रभागीय वन विकास प्रबन्धक
उत्तराखण्ड वन विकास निगम
खनन प्रभाग, देहरादून


Ashwini Singh

भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,
उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड भोपालपानी, देहरादून
संख्या: 504भू0खनि0ई0 / 2012-13, दिनांक: 23 जनवरी, 2013

कार्यालय ज्ञाप
आशय पत्र (Letter of Intent)

उत्तराखण्ड खनिज नीति 2011 के विन्दु-2 के प्रस्तर-1 के अनुसार राज्य के वन नदी उपखनिज क्षेत्रों में उपखनिज के चुगान के खनन पट्टे वन क्षेत्र में उत्तराखण्ड वन विकास निगम को उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली 2001 के नियमानुसार निर्धारित प्रपत्र एम0एम-1 में आवेदन करने के उपरान्त 05 वर्ष हेतु स्वीकृत किये जाने का प्राविधान के दृष्टिगत वन क्षेत्र के वन नदी उपखनिज क्षेत्रों में उपखनिजों के चुगान का खनन पट्टा चाहने हेतु आवेदक प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, देहरादून द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्रों के सम्बन्ध में इस आशय पत्र (Letter of Intent) के माध्यम से राज्य सरकार आवेदक प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम के पक्ष में उनके द्वारा आवेदित क्षेत्रों यथा जनपद देहरादून के 18 उपखनिज लॉटों तथा जनपद जनपद टिहरी गढ़वाल के 02 उपखनिज लॉटों में जनपद पौड़ी गढ़वाल के 04, जनपद नैनीताल के 06 जनपद उधमसिंह नगर के 02, जनपद अल्मोड़ा के 01 तथा जनपद चम्पावत के 02 खनन लॉटों जिनका विवरण तालिका-1 में निम्नवत् उल्लिखित है, जो में 05 (पांच) वर्ष की अवधि हेतु उपखनिज चुगान हेतु खनन पट्टा स्वीकृत करने की मंशा रखती है:-

तालिका-1

क्र०सं०	नदी का नाम	जनपद का नाम	क्षेत्रफल (हे०)
1. ✓	नराखाला	देहरादून	42.00
2. ✓	कोटमोट		60.00
3. ✓	यमुना बाया किनारा लाघा		70.00
4. ✓	यमुना बाया किनारा कुल्हाल		32.00
5. ✓	आमलावा		30.00
6. ✓	यमुना रामपुर मण्डा		20.11
7. ✓	टौंस हरिपुर		31.75
8. ✓	सोरना नदी		23.75
9. ✓	बागरा राँ		20.00
10. ✓	ओरी राँ		30.00
11. ✓	खजनावर राँ		30.00
12. ✓	रामगढ़ राँ		8.00
13. ✓	कालूवाला राँ		18.00
14. ✓	बाला जी + बुल्लो राँ		8.00
15. ✓	दडासरा		30.00
16. ✓	भैसी राँ		30.00
17. ✓	सुखरा राँ		16.00
18. ✓	कुसभरा राँ		24.00

19.	रावरास्रोत	टिहरी गढ़वाल	7.800
20.	दयागाढ़		10.00
21.	खो नदी		7.98
22.✓	मालन नदी	पौड़ी गढ़वाल	45.00
23.✓	सुखरो नदी		73.00
24.✓	कोल्हू नदी/कोठड़ी		24.50
25.✓	लोअर कोसी	नैनीताल	570.00
26.	दाबका नदी-2		245.56
27.	चौसला नदी		36.00
28.	जाखन नदी		15.88
29.✓	बोर नदी		255.00
30.	भाकड़ा		170.08
31.	दाबका नदी-3	उधमसिंह नगर	65.00
32.	शारदा नदी-2		186.00
33.✓	पनार-सरियू नदी	अल्मोड़ा	8.7
34.✓	लघिया नाला	चम्पावत	10.00
35.✓	लघिया नाला रिठा साहिब		15.46
	योग		2313.37

2. आवेदक प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम यदि उक्त तालिकाओं में उल्लेखित लाटो में उपखनिज चुगान का खनन पट्टा लेने हेतु सहमत हो तो शासनादेश संख्या 922/VII-1/11-रिट/2012, दिनांक 26 जुलाई, 2012 में दिये गये निर्देशानुसार E.I.A Notification, 2006 के अन्तर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त कर, पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति इस कार्यालय को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, ताकि नियमानुसार खनन पट्टा स्वीकृति हेतु अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सकें।

भवदीय,

(शैलेश बगौली)
निदेशक,

पृष्ठांक संख्या: (1)/तददिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. जिलाधिकारी, देहरादून/टिहरी गढ़वाल/पौड़ी गढ़वाल/चम्पावत/नैनीताल/उधमसिंह नगर।
3. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि E.I.A Notification, 2006 के अन्तर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त कर इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
4. गार्ड फाईल।

(शैलेश बगौली)
निदेशक,

संयुक्त निरीक्षण आख्या

भारत सरकार से अनुमति प्राप्त करने के लिये देहरादून वन प्रभाग की स्वारना नदी, झाझरा (आरक्षित वन क्षेत्र) से उपखनिज चुगान हेतु संयुक्त निरीक्षण आख्या।

प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग की पत्र संख्या P.L.F. 25B6 दिनांक 29-04-13के कम में निर्धारित तिथि दिनांक.....से.....तक देहरादून वन प्रभाग की झाझरा रेंज की स्वारना नदी का संयुक्त निरीक्षण उप प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून, प्रभागीय वन विकास प्रबन्धक, खनन् देहरादून, तहसीलदार, विकासनगर व उप जिलाधिकारी, विकासनगर द्वारा किया गया।

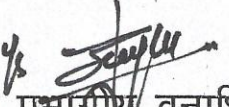
निरीक्षण के दौरान उक्त क्षेत्र में उपखनिज (रेंता, बजरी, पत्थर, आर0बी0एम0) मिलीजुली अवस्था में विद्यमान है। जिसका वर्तमान में चुगान/खनन् कार्य भारत सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार किया जाना है। वर्षाकाल में स्वारना नदी से भारी मात्रा में उपखनिज (रेंता, बजरी, पत्थर) एकत्र होने से पानी का बहाव मुख्य धारा में न जाकर नदी के दोनों तटों पर कटाव कर रहा है। जिससे स्वारना नदी से सटे गाँव की आबादी प्रभावित हो रही है व स्वारना नदी, झाझरा का क्षरण हो रहा है, स्वारना नदी, झाझरा से उपखनिज चुगान कार्य में बड़ी संख्या में श्रमिक कार्य करेंगे और इससे रोजगार का सृजन होगा, यदि खनन् चुगान नहीं किया जाता है तो इस क्षेत्र में रोजगार का स्रोत कम हो जायेगा। साथ ही स्थानीय आपूर्ति सहज/नियमानुसार ढग से होगी। इससे नदियों में आये मलबे के चुगान से नदियों की अविरलता प्रभावित नहीं होगी।

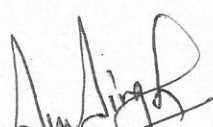
उपरोक्त नदी से उपखनिज चुगान कार्य उत्तराखण्ड राज्य के हित में है। इससे राज्य को भारी राजस्व की प्राप्ति होगी।

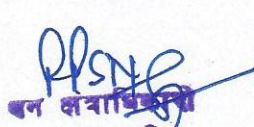
अतः संयुक्त निरीक्षण के दौरान संयुक्त रूप से यह निर्णय लिया गया है कि स्वारना नदी, झाझरा क्षेत्र से 23.75 है० क्षेत्र में उपखनिज चुगान की अनुमति हेतु भारत सरकार को प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है।

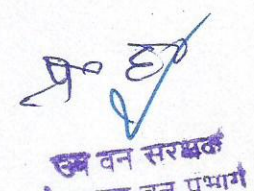
उपरोक्त 23.75 है० में उपखनिज चुगान की अनुमति भारत सरकार द्वारा दिये जाने की दशा में नियमानुसार चुगान कार्य किये जाने पर पर्यावरण की दृष्टिकोण से क्षेत्र में विपरीत प्रभाव पड़ने की सम्भावना प्रतीत नहीं होती है।

चुगान कार्य हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा-2 एवं EIA Act 2006 के प्राविधानों के अनुरूप भारत सरकार से अनुमति प्राप्त किये जाने की संस्तुति की जाती है।

 प्रभागीय वन विकास प्रबन्धक उत्तराखण्ड वन विकास निगम देहरादून	 उप प्रभागीय वनाधिकारी देहरादून वन प्रभाग देहरादून	 तहसीलदार उपजिलाधिकारी विकासनगर विकासनगर
---	--	--


 वन विकास प्रभाग


 वन विकास प्रभाग


 वन विकास प्रभाग

परियोजना का नाम:- हवारा नदी झालसा मे उपरबन्ध कुशमकाष

वैकल्पिक संरेखणों को निरस्त किये जाने का प्रमाण पत्र।

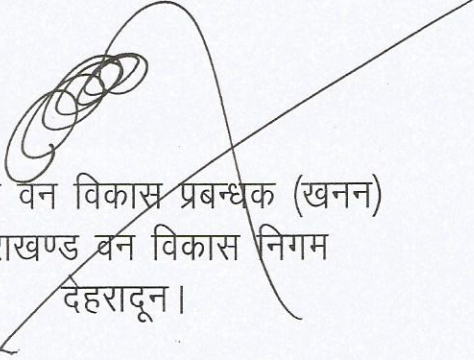
प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना हेतु विभिन्न विकल्पों पर विचार किया गया व वर्तमान विकल्प को सर्वदा उपयुक्त पाया गया।

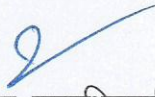

(कुशमकाष)
हस्ताक्षर
प्रयोक्ता एजेन्सी

परियोजना का नाम :- स्वारना नदी झाझरा में उपखनिज चुगान

वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने व वन भूमि की मांग न्यूनतम होने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु आवेदित वन भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है, तथा याचित 23.75 है० वन भूमि की मांग न्यूनतम है। इससे कम वन भूमि पर परियोजना का निर्माण कार्य कराया जाना सम्भव नहीं है।


प्रभागीय वन विकास प्रबन्धक (खनन)
उत्तराखण्ड वन विकास निगम
देहरादून।


प्रभागीय वनाधिकारी,
देहरादून वन प्रभाग।
देहरादून

परियोजना का नाम :- स्वारना नदी, झाझरा में उपखनिज चुगान

लैण्ड शेडयूल

जिला	प्रभाग का नाम	वन ब्लॉक	लम्बाई (मी०) औसत	चौड़ाई (मी०) औसत	क्षेत्रफल
देहरादून	देहरादून वन प्रभाग, देहरादून	स्वारना नदी, ढूंगा कक्ष स० 12, झाझरा	3000 मी०	79.16 मी०	23.75 हे०

प्रभागीय वन विकास प्रबन्धक (खनन)
उत्तराखण्ड वन विकास निगम
देहरादून

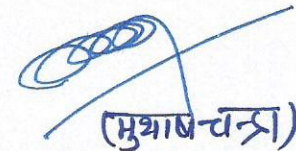
प्रभागीय वनाधिकारी
देहरादून वन प्रभाग
देहरादून

PPS NR
वन क्षेत्राधिकारी
झाझरा
देहरादून वन प्रभाग

परियोजना का नाम :- स्वारना नदी, झाझरा में उपखनिज चुगान

परियोजना की लम्बाई चौड़ाई का विवरण

क्र० सं०	भूमि का श्रेणी	लम्बाई (मीटर में)	चौड़ाई (मीटर में)	कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	कुल क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)
1	2	3	4	5	6
1	आरक्षित वन भूमि	3000मी०	79.16मी०	23.75 हे०	
2	सिविल स्वयं भूमि				
3	वन पंचायत भूमि अन्य श्रेणी की वन भूमि (यदि लागू हो) वन भूमि का योग				
4	नाप भूमि				
5	कुल योग :-	3000मी०	79.16मी०	23.75 हे०	

(मुद्रा-चन्द्रा)
प्रभागीय वन विकास प्रबन्धक (खनन)
उत्तराखण्ड वन विकास निगम
15/15 ए डोभालवाला, देहरादून

झाझरा रेंज के डूंगा क0स012 में उप खनिज चुगान हेतु उत्तरांचल वन विकास निगम (खनन) को 23.00 है0 क्षेत्रफल के दोगुना 46.00 है0 में क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्राक्कलन ~~का प्राक्कलन~~।
रेंज-झाझरा, प्रभाग-देहरादून वन प्रभाग, देहरादून, वर्ष-2013-14

क्र.सं. 0	कार्य का विवरण	मात्रा	दर	धनराशि
1	क्षेत्र का सर्वेक्षण सीमांकन	46.00 है0	48.00 / है0	2208.00
2	क्षेत्र की सफाई एवं झाड़ी कटान कुरी आदि प्रथम	46.00 है0	1634.00 / है0	75164.00
	द्वितीय	46.00 है0	817.00 / है0	37582.00
3	वृक्षारोपण हेतु पौधालय तैयार	50600.00 पौध	4.77 / पौध	241362.00
4	पौध रोपण हेतु गडडा खुदान (0.45×0.45×0.45)	50600.00	3.78 / गडडा	191268.00
5	गडडा भरान कार्य	50600.00	0.92 / गडडा	46552.00
6	तारबाड कार्य	4000 मी0×4 = 16000 = 20 qntl	7000.00 / कु0	140000.00
7	सीमेन्ट के खम्भे कय करना	1350 खम्भे	200 / खम्भा लमसम	270000.00
8	तारबाड कार्य हेतु बुनियाद खुदान चिनाई व पत्थर ढुलान		L.S.	20000.00
9	वृक्षारोपण हेतु पौध ढुलान	50600.00 + 10% क्षतिपूरक (5060) = 55660.00	0.78 / पौध	43414.80
10	पौधो का स्थानीय ढुलान एवं रोपण कार्य	50600.00	1.92 / पौध	97152.00
11	पौधो की निराई गुढाई प्रथम	50600.00	0.80 / पौध	40480.00
12	द्वितीय	50600.00	0.80 / पौध	40480.00
		50600.00	0.80 / पौध	40480.00
13	रोपण रक्षक का कार्य श्रमिक	4 श्रमिक 48 माह	3000.00	144000.00
14	अन्य व्यय व रोपण रक्षक का रखरखाव	46 है0	1000.00/hac.	46000.00
15	रोपण क्षेत्र अर्न्तगत अन्य भू:संरक्षण कार्य	46 है0	22500/hac	1035000.00
16	अन्य आकस्मिक व्यय (श्रमिको की दवा, तेल, छप्पर आदि)		L.S.	5000.00
			योग	2516142.80
			योग	2516000.00

प्रतिहस्ताक्षरित

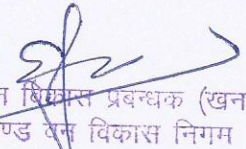
उप प्रभोगी व वनाधिकारी
देहरादून
वन प्रभाग

RPSN
अधीक्षक
अधीक्षक
देहरादून वन प्रभाग
उप वन सहायक

परियोजना का नाम— स्वारना नदी, झाझरा से उपखनिज चुगान

प्रमाण पत्र

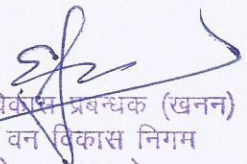
प्रमाणित किया जाता है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण पर किये जाने वाले व्यय का वहन उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा किया जायेगा।


प्रभागीय वन विकास प्रबन्धक (खनन)
उत्तराखण्ड वन विकास निगम
15/15 ए जेभोलवाला, देहरादून

परियोजना का नाम— स्वारना नदी, झाझरा सें उपखनिज चुगान।

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि परियोजना के निकासी मार्ग के दोनो ओर रिक्त पड़े स्थानो पर वृक्षारोपण पर किये जाने वाले व्यय का वहन उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा किया जायेगा।


प्रभागीय वन विकास प्रबन्धक (खनन)
उत्तराखण्ड वन विकास निगम
16/15 ए जेभालवाला, देहरादून

परियोजना का नाम :- स्वारना नदी, झाझरा में उपखनिज चुगान

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि स्वारना नदी, में उप-खनिज चुगान में कोई भी वृक्ष प्रभावित नहीं हो रहे हैं।

प्रभागीय वनाधिकारी
देहरादून वन प्रभाग, देहरादून

वन वन संरक्षण
देहरादून वन प्रभाग
देहरादून

PPSND
वन क्षेत्राधिकारी
झाझरा राबि
देहरादून वन प्रभाग

परियोजना का नाम :- स्वारना नदी, झाझरा में उपखनिज चुगान

वृक्षों के पातन न होने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि स्वारना नदी, झाझरा के प्राकृतिक जल प्रवाह की पुर्नस्थापित करने हेतु प्रस्तावित उपखनिज चुगान का कार्य करने हेतु उपखनिज चुगान क्षेत्र में कोई वृक्ष विद्यमान नहीं है। अतः प्रस्तावित उपखनिज के चुगान हेतु किसी प्रकार के वृक्षों का पातन नहीं किया जाना है। न ही वृक्षों को कोई क्षति पहुँचाने की सम्भावना है।


प्रभागीय वन विकास प्रबन्धक (खनन)
उत्तराखण्ड वन विकास निगम
देहरादून




प्रभागीय वनाधिकारी
देहरादून वन विभाग
देहरादून


वन क्षेत्राधिकारी
झाझरा राशि
देहरादून वन विभाग

परियोजना का नाम :- स्वारना नदी, झाझरा में उपखनिज चुगान

उत्तरांचल वन विकास निगम

(कार्यालय प्रभागीय वन विकास प्रबन्धक (खनन) देहरादून)

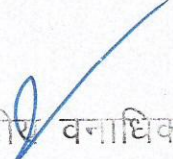
प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि स्वारना नदी, झाझरा के अन्तर्गत उपखनिज चुगान हेतु प्रस्तावित कुल 23.75 हैक्टेयर भू-भाग में, देहरादून वन प्रभाग के आरक्षित वन क्षेत्र में है। यह क्षेत्र राष्ट्रीय पार्क व वन सेन्चूरी क्षेत्र से बाहर है।


प्रभागीय वन विकास प्रबन्धक (खनन)
उत्तराखण्ड वन विकास निगम
देहरादून




वन क्षेत्राधिकारी
झाझरा राबि
देहरादून वन प्रभाग


प्रभागीय वनाधिकारी
देहरादून वन प्रभाग
देहरादून

परियोजना का नाम :- स्वारना नदी, झाझरा में उपखनिज चुगान

राष्ट्रीय पार्क / वन्य जीव अभ्यारण्य प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि स्वारना नदी में उप-खनिज क्षेत्र राष्ट्रीय पार्क / वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा नहीं है। वर्णित क्षेत्र राजाजी राष्ट्रीय पार्क सीमा से 24 Km दूरी पर है।

प्रभागीय वनधिकारी
देहरादून वन प्रभाग, देहरादून

वन संरक्षक
देहरादून वन प्रभाग
देहरादून

प्रमुख वन संरक्षक, वन्य जीव,
उत्तराखण्ड

वन अधिकारी
झाझरा राबि
देहरादून वन प्रभाग

प्रपत्र संख्या-46

परियोजना का नाम:- स्वारना नदी झाझरा में उपखनिज चुगान कार्य

वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन न होने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं हुआ है।

हस्ताक्षर
प्रभागीय वन अधिकारी,
देहरादून
देहरादून वन प्रभाग
देहरादून

(सुभाष चन्दा)
हस्ताक्षर
प्रयोक्ता एजेन्सी।

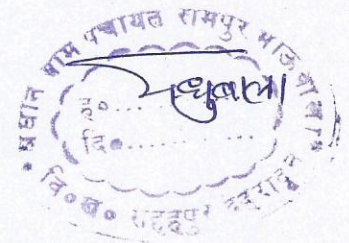
सेवा में,

प्रभागीय वन विकास प्रबन्धक(खनन),
उत्तराखण्ड वन विकास निगम,
देहरादून ।

विषय:- झांझरा रेंज के अन्तर्गत स्वारना नदी में उपखनिज चुगान कराने के सम्बन्ध में ।
महोदय,

निवेदन इस प्रकार से है कि झांझरा क्षेत्र के अन्तर्गत स्वारना नदी के मध्य में स्थित तल में उपखनिज काफी मात्रा में जमा हो गया है । वर्षा होने पर नदी स्थित पानी की एक मिश्रित धारा नहीं मिल पाती है जिस कारण वन विभाग की जमीन व काश्तकारों की उपजाऊ जमीन का बराबर कटाव हो रहा है तथा प्रति वर्ष यहां रहने वाली आबादी के सिर पर बाढ़ व जानमाल का खतरा बना रहता है ।

महोदय नदी के आसपास रहने वाले ग्राम वासियों की स्वयं उनकी उपजाऊ भूमि तथा पशुओं के बाढ़ व जानमाल की रक्षा हेतु एक मात्र विकल्प स्वारना नदी में जमा हो चुका उप खनिज का चुगान ही है जिससे इसकी धारा नियोजित हो सके । अतः महोदय से निवेदन है कि स्वारना नदी द्वारा प्रति वर्ष हो रहे नुकसान को देखते हुए शीघ्र खनन प्रारम्भ कराने की कृपा करें । उपखनिज चुगान कराने में ग्राम वासियों को कोई आपत्ति नहीं है ।



परियोजना का नाम :- स्वारना नदी, झाझरा में उपखनिज चुगान

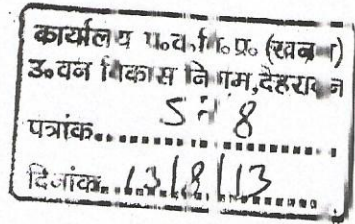
प्रस्तावित क्षेत्र में कार्य के बारे में प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित खनन् क्षेत्र झाझरा आरक्षित वन ब्लॉक में स्थित है, इसमें वन विकास निगम द्वारा किसी प्रकार का खनन् कार्य आरम्भ नहीं किया गया है। प्रस्ताव अनुमोदित होने के उपरान्त खनन् कार्य किया जायेगा।

प्रभागीय वनधिकारी
देहरादून वन प्रभाग, देहरादून
देहरादून वन प्रभाग
देहरादून


वन क्षेत्राधिकारी
झाझरा राशि
देहरादून वन प्रभाग

पृष्ठ सं.
2.28



प्रेषक:-

भू-वैज्ञानिक,
जिला टास्क फोर्स
देहरादून।

पत्रांक 37/जि०टा०फो०-दे०व०/2013/13-14 दिनांक 13-08-2013

सेवा में,

प्रभागीय वन विकास प्रबन्धक(खनन),
उत्तराखण्ड वन विकास निगम,
देहरादून।

विषय:- जनपद देहरादून की रामगढ़ रॉ, स्वारना नरौखाला, कोटमोट, सौंग मसूरी, रामपुर मण्डी, यमुना नदी बायां किनारा में उपलब्ध उपखनिज चुगान के सम्बन्ध में भूगर्भ / तकनीकी आख्या के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:-आपकी पत्र संख्या 375 दिनांक 10.7.2013.

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में आवेदित क्षेत्र रामगढ़ रॉ, स्वारना, नरौखाला, कोटमोट, सौंग मसूरी, रामपुर मण्डी, यमुना नदी बायां किनारा का निरीक्षण कर निरीक्षण आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक:-यथोपरि।

भवदीय,

(राजेन्द्र शुक्ला)
भू-वैज्ञानिक

संख्या...../जि०टा०फो०तददिनांकित।

प्रतिलिपि:-निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ एवं आपसक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

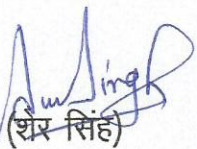
(राजेन्द्र शुक्ला)
भू-वैज्ञानिक

जनपद देहरादून स्वारना नदी, झाझरा में उपलब्ध उपखनिज के चुगान के सम्बन्ध में भूगर्भीय/तकनीकी आख्या

कार्यालय प्रभागीय वन विकास प्रबन्धक (खनन), देहरादून के पत्रांक 375/दि० 10.07.2013 के क्रम में जनपद देहरादून के स्वारना नदी, झाझरा उपखनिज युक्त क्षेत्र का निरीक्षण दि० 09.08.13 को श्री आर०एस०कहेड़ा, प्रभागीय वन विकास प्रबन्धक एवं श्री शेर सिंह, उप लौगिंग अधिकारी, खनन प्रभाग, देहरादून की उपस्थिति में उपलब्ध कराये गये मानचित्रानुसार विभागीय सर्वेक्षण के सहयोग से किया गया। क्षेत्र की भूगर्भीय/तकनीकी आख्या निम्नवत् है:-

उक्त प्रस्तावित क्षेत्र, देहरादून से 18 कि०मी० दूरी पर देहरादून चकराता मार्ग के उत्तर दिशा में 8 कि०मी० दूरी पर सेलाकुई-भाऊवाला मार्ग पर बने पुल से उत्तर दिशा में है, प्रस्तावित क्षेत्र स्वारना नदी, झाझरा के पूर्व दिशा एवं पश्चिम दिशा में आरक्षित वन क्षेत्र है, इस क्षेत्र में उपखनिज रेत, बजरी, पत्थर, मिली-जुली अवस्था में है जिसका चुगान किया जा सकता है। इस क्षेत्र में उपखनिज का अनुमानित अनुपात लगभग 15:50:35 है। यह उपखनिज विभिन्न निर्माण कार्यों में प्रयोग किया जा सकता है। इस क्षेत्र के मध्य भाग से चुगान करते हुए प्रतिवर्ष लगभग 120 लाख घ०मी० उपखनिज निकाला जा सकता है। उपखनिज निकाले जाने से स्वारना नदी, झाझरा द्वारा किनारों पर किये जा रहे कटाव को कम किया जा सकता है।

सुव्यवस्थित चुगान कार्य किये जाने से भूगर्भीय/तकनीकी दृष्टिकोण के प्रभाव पड़ने की सम्भावना प्रतीत नहीं होती है। विगत वर्षों में इस क्षेत्र में खनन अनुमति प्राप्त नहीं हुई है। खनन अनुमति प्राप्त होने पर राजस्व प्राप्ति की जा सकती है। क्षेत्र में उपखनिज की उपलब्धता को दृष्टि गोचर रखते हुए नियमानुसार प्रस्ताव तैयार किये जाने से सम्बन्धी आवश्यक कार्यवाही करना चाहें।



(शेर सिंह)

उप लौगिंग अधिकारी
उ०वनविकासनिगम, देहरादून



(आर०एस०कहेड़ा)

प्रभागीय वन विकास प्रबन्धक (खनन)
उ०वन विकास निगम, देहरादून



(राजेन्द्र प्रसाद शुक्ला)

भू वैज्ञानिक
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,
जिला टास्क फोर्स, देहरादून

Task Force Certificate

54570

2-29

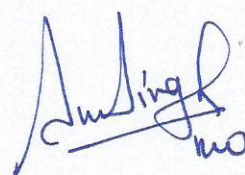
- 1 Lay out of the Land-be followed as far as possible.
- 2 Heavy cutting/filling be avoided-as far as possible. The technology of cut and fill method is to be adopted. Steep hill slopes also to be avoided.
- 3 Unstable/slide-prone areas to be avoided. For identifying such areas the advice of Geotechnical engineers and geologists to be taken during the survey for intelligent.
- 4 Comparison of various possible alignments with reference to erosion potential be made and the alignment involving minimum erosion risks be preferred.

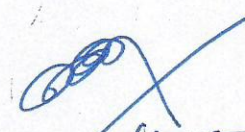
A part from the stage of plannings the road alignment, effective steps are also required to be taken by ground engineer during the process of road construction for minimized ecological disturbance to the hill roads Broadly the measures to be taken have been identified as :-

- 1 Cut and fill method to be adopted while excavating for road formation and heavy earth cutting is to be avoided Box cutting is to be avoided to the extent possible.
- 2 - Blasting by explosives is to be restricted to the minimum. Lay out of holes to be drilled for blasting is to be planned keeping in view the line of least-resistance and the existence of joints Controlled blasting should be repeated using low charge and care be taken to avoid activating slide zones or widening fissures and cracks in rock. Use of delay detonators in large scale blasting work is to be made for an online dispersion of shock waves, so that minimum disturbance is caused to the rock stratum as a result of the blasting process.

- 3 - All cut slopes, unusable hill side and slide prone erosion prone areas are to be provided with suitable correction measures by using one or the other of the techniques developed by CRRI. Several techniques have been sponsored by CRRI. Like simple vegetative turning, bitumen mulch treatment and slide treatment by jute netting coir netting of these simple vegetative turning seems to be the most appropriate preventive measure in many situations. This should be established in the denude slopes immediately after the excavation is made.
- 4 Adequate drainage measures and protective structures like intercepting catch water drains, longitudinal drains/culvers, breast walls, retaining and the walls are provided for purposes of establishing the slips. Growth vegetative cover is stimulated in the disturbed hill slopes above the road level by planting suitable fast growing shrubs and plants. In certain selected unstable areas terraced afforestation has also been plasticized as a stabilizing measure with good results.
- 5 Over the past few years the roads wing of the Ministry of Shipping and transport has issued instruction laying down broad guidelines and check list of the preparation of road construction projects which provide an inbuilt mechanism of tackling land slides/erosion control for the guidance and follow up action by engineers of state 'PWD' Border Roads Organization and other engaged in construction of hill roads these should be observed.

प्रमाणित किया जाता है कि योजना आयोग द्वारा गठित टास्क फोर्स की उपरोक्त संस्तुतियाँ उत्तराखण्ड वन विकास निगम को मान्य हैं।

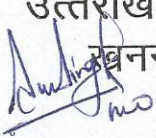



(मुयाब-चन्द्रा)
प्रभागीय वन विकास प्रबन्धक
उत्तरांचल वन विकास निगम
खनन प्रभाग, देहरादून

परियोजना का नाम :- स्वारना नदी, झाझरा में उपखनिज चुगान

लागू शर्तों का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जात है कि झाझरा रेंज के अन्तर्गत स्वारना नदी से उपखनिज चुगान कार्य वन विकास निगम को आवंटित होने की दशा में भारत सरकार एवं राज्य सरकार उत्तराखण्ड द्वारा समय-समय पर लागू शर्तों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।


प्रभागीय वन विकास प्रबन्धक
उत्तराखण्ड वन विकास निगम
खनन् प्रभाग, देहरादून


- 1 भूमि हस्तान्तरण के बाद भी उसके वैधानिक स्थल में कोई परिवर्तन नहीं होगा और वह भी पूर्व की भाँति रक्षित या आरक्षित वन भूमि बनी रहेगी।
- 2 प्रश्नगत भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा अन्य प्रयोजन हेतु कदापित नहीं।
- 3 याचक विभाग प्रस्तावित भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित नहीं करेगा।
- 4 भूमि का संयुक्त निरीक्षण करके सुनिश्चित कर लिया गया है कि माँगी गई भूमि न्यूनतम है तथा इसके अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।
- 5 हस्तान्तरित विभाग उसके कर्मचारी, अधिकारी अथवा ठेकेदार वन भूमि को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायेगें और ऐसा कियो जाने पर सम्बन्धित वनाधिकारी द्वारा निर्धारित मुआवजे के भुगतान उक्त विभाग को करना होगा, जिसके याचक विभाग सहमत है।
- 6 भूमि का सीमांकन याचक विभाग अपने व्यय से सम्बन्धित वनाधिकारी की देख-रेख में करायेगा तथा इस सम्बन्ध में बनाये गये मुनारें आदि की भी देखभाल करेगा।
- 7 हस्तान्तरण वन भूमि पर वन विभाग के कर्मचारियों को निरीक्षण हेतु जाने पर हस्तान्तरीय विभाग को कोई आपत्ति नहीं होगी।
- 8 बहुमूल्य वन सम्पदा से आच्छादित एवं वन जन्तुओं से भरपूर वन क्षेत्रों का हस्तान्तरण यथा सम्भव प्रस्तावित न किया जाय। केवल अपरिहार्य कारणों से ही ऐसा किया जाना सम्भव होगा, परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि वन सम्पदा की क्षतिपूर्ति एवं अन्य जन्तुओं के स्वच्छन्द विचरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही भूमि हस्तान्तरित की जायेगी।
- 9 सिंचाई विभाग/जल निगम द्वारा वन विभाग की नरसरियों पौधों को एवं वन विभाग के कर्मचारियों की निःशुल्क जल की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।
- 10 याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित वन भूमि का उपयोग अन्य प्रयोजन हेतु करने अथवा विभाग संस्था का व्यक्ति विशेष की हस्तान्तरित करने पर वन भूमि स्वतः बिना किसी प्रकार के प्रतिकार का भुगतान किये वन विभाग को वापस हो जायेगी। वन भूमि की आवश्यकता याचक विभाग को न रहने पर भी हस्तान्तरित भूमि तथा उस पर निर्मित भवन आदि स्वतः बिना किसी प्रतिकार का भुगतान किये वन विभाग को प्राप्त हो जायेगी।
- 11 सड़क निर्माण के प्रस्तावों पर एलाईनमेंट तय होते समय स्थानीय स्तर पर वन विभाग का परामर्श सा०नि०वि० द्वारा प्राप्त किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में प्रमुख अभियन्ता, सा०नि०वि० के अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, पर्व० क्षेत्र पौड़ी को सम्बोधित पत्र संख्या 608 सी० दिनांक 10.02.1982 में निहित आदेशों का पालन भी सा०नि०वि० द्वारा किया जायेगा कि अश्वमार्ग बनाना अथवा वन मार्गों को फरे बदल कर पक्का करना याचक विभाग के खर्च से पर्याप्त न होना और नई सड़क का निर्माण ही आवश्यक है।
- 12 वन भूमि का मूल्य सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त मूल्य सम्बन्धित प्रमाण पत्र के आधार पर आंकलित होना जो याचक विभाग को मान्य होगा।
- 13 वन भूमि पर खड़े वृक्षों का निस्तारण वन विभाग उ०प्र० वन निगम अथवा और कोई उपयुक्त प्रक्रिया जो वन विभाग उचित समझे द्वारा किया जायेगा। यदि किसी कारण
- 14 हस्तान्तरण भूमि पर पड़ने वाले वृक्षों के प्रतिकार में याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित भूमि के समतुल्य वृक्षारोपण का भुगतान अथवा समतुल्य गैर वानिकी भूमि उपलब्ध न होने पर प्रस्तावित भूमि के दुगने गैर वानिकी क्षेत्रफल में वृक्षारोपण तथा 3 वर्ष तक परिपोषण व्यय जो भी वन विभाग द्वारा तय किया जाय का भुगतान याचक विभाग वन विभाग को करेगा।

1000 मीटर एवं 30 डिग्री से अधिक ढाल पर खड़े वृक्षों का पातन भी निषिद्ध है, इसी प्रकार बांज के पेड़ों पर पातन भी वर्जित है। ऐसे वृक्षों के पातन का निरीक्षण वन संरक्षक स्तर पर ही होगा।

- 15 वन भूमि के ऊपर से विद्युत लाइन ले जाने में यथासम्भव पेड़ों का कटान नहीं किया जायेगा। या खम्भों का ऊँचा करके इसे सुनिश्चित किया जायेगा। यदि फिर भी पेड़ों का कटान अनिवार्य प्रतीत होता है तो न्यूनतम पेड़ों की संख्या संयुक्त स्थल निरीक्षण करके सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा निश्चित की जायेगी, जिस पर संरक्षण का अनुमोदन आवश्यक है।
- 16 यदि नहर आदि निर्माण में भू-संरक्षण की सम्भावना होती है और नहर की दोनों पट्टीयों को पक्का करना अगर आवश्यक समझा जाता है तो ऐसा याचक विभाग स्वयं अपने व्यय से करायेगा।
- 17 उपरीलिखित मानक शर्तों के अतिरिक्त यदि भारत सरकार अथवा वन विभाग द्वारा किसी विशिष्ट प्रकरण में कोई अन्य शर्तें लगाई जाती हैं तो याचक विभाग को मान्य होंगी।
- 18 वन भूमि का वास्तविक हस्तान्तरण तभी किया जाय, जब उच्च शर्तों का पूरा पालन कर लिया जाय अथवा उनका समुचित स्तर से आश्वासन प्राप्त हो जाय।

प्रमाणित किया जाता है कि वन विभाग उत्तराखण्ड शासन तथा भारत सरकार द्वारा लगाई गई शर्तें याचक विभाग को मान्य हैं।

ह0/



प्रभागीय वन विकास प्रबन्धक
उत्तराखण्ड वन विकास निगम

खनन् प्रभाग, देहरादून

